

कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।

पत्र संख्या: 2018/40062/संभ/संभल/529/डी0डी0/206

दिनांक: जनवरी 25, 2018

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद संभल।

विषय: गाटा संख्या: 325 ग्राम पर्वोसा, तहसील व जनपद संभल पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका का पत्रांक: 387/एल0बी0सी0/2017-2018/अ0आ0प्र0पत्र

दिनांक: 12.01.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा गाटा संख्या: 325 ग्राम पर्वोसा, तहसील व जनपद संभल पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण/परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी संभल श्री प्रताप सिंह द्वारा संसगत मानकों के अनुसार किया गया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक: 24.01.2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल 45.72 मीटर चौड़े संभल-बजोई रोड पर स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-ज सकते हैं। प्रस्तावित स्थल मानचित्रों के अनुरूप है। प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लॉटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पेट्रोलियम रूल्स-2002 के अनुरूप पाये गये।

अतः गाटा संख्या: 325 ग्राम पर्वोसा, तहसील व जनपद संभल पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम रूल्स-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किस अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेंगे।
- 2- प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाईटेंशन या लॉटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ व भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।
- 5- प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
क्रेमरी
जम्मल घन प्रभाग, संभल।

अविनाश
सांकेतिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

टेलीफोन नं० की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

6- प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्र पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का नि निर्गत किये जायेंगे जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- मुख्य अग्निशमन अधिकारी संभल।
- 2- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी संभल।
- 3- श्रीमती नीता देवी पुत्री स्व० श्री धर्मेन्द्र सिंह निवासी-वीपीओ सिंगपुर साहनी संभल।

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आंध्र का मुख्यालय, कोस्तूर गंज
भरत-250002 (उ०प्र०)

1.5.

Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी